



**झारखण्ड सरकार**  
**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**  
**(परिशिष्ट-३)**

**विभिन्न सैटेलाइट टी०वी० चैनलों को झारखण्ड राज्य की स्वीकृति सूची में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र :—**

**क्र०सं०**

1. सैटेलाइट टी०वी०\_चैनल का नाम :—
2. भाषा :—
3. चैनल की प्रकृति (न्यूज / नॉन न्यूज / अन्य) :—
4. संचालन क्षेत्र (क्षेत्रीय / राष्ट्रीय) :—
5. प्रसारण स्थल का पूर्ण पता (दूरभाष :— संख्या एवं ई—मेल आई० सहित)
6. चैनल के संचालक कंपनी का नाम एवं पूर्ण पता
7. चैनल के आरंभ होने की तिथि :—
8. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत :— सरकार के प्रसारण हेतु निर्गत लाईसेंस संख्या, वर्ष एवं तिथि
9. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत :— सरकार से निर्गत अपलिंक एवं डाउनलिंग प्रमाण—पत्र संख्या एवं तिथि
10. चैनल का प्रारंभिक स्वामित्व का नाम :—
11. प्रारंभ होने के बाद यदि स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, जो उसकी विवरणी
12. वर्तमान स्वामित्व का नाम :—

13. चैनल हेड का नाम एवं पता :—
14. क्या चैनल प्रारंभ होने के बाद भी बंद :—  
रहा है
15. यदि बंद रहा है तो कितने समय तक :—  
और क्यों
  
16. भारत सरकार के अधिमान्य संस्था द्वारा :—  
टी०आर०पी०/टैम के अनुसार चैनल  
का Viewership रिपोर्ट
17. चैनल का विज्ञापन प्रसारण का नेट रेट :—  
(डी०ए०वी०पी० द्वारा निर्धारित दर)
18. यदि अन्य राज्यों में चैनल का प्रसारण :—  
होता है तो उन राज्यों का नाम
19. चैनल से अर्जित राजस्व के संदर्भ में :—  
पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की  
विवरणी

(कृपया उपरोक्त सभी कॉलमों की पूर्ति करें एवं सभी पृष्ठों पर संपादक/माध्यम का संचालक का हस्ताक्षर करें)

**नोट :—** कृपया आवेदन के साथ झारखण्ड विज्ञापन नियमावली, 2019 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सभी आवश्यक प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्राप्ति छायाप्रति संलग्न करें।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी कॉलमों में दी गयी सूचना सही है।

**संपादक/माध्यम के संचालक का हस्ताक्षर  
एवं मुहर**